

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,

अमरावती रोड, नागपुर - 440033

नीबू कि नीलामी सूचना सं. 06/2025-26

दिनांक: 19/12/2025

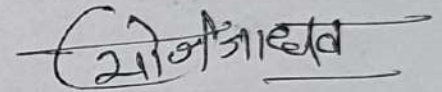
फा.न.भंडार नीबूफलों कि नीलामी/2025-26 / 10 & 7

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर में स्थित ॲसिड लाईम फ्रुट्स (नीबू) ब्लॉक नं. 101, 102, 103, 105, 127ए, 112ए, 207, 211, 213, 210, 212, 134 और 123 इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे नीबू फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 29.12.2025 को की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदारों को खरीददारी हेतु कीमत को दिनांक 29.12.2025 को लिफाफे में भरकर रु. 5,000/- की सुरक्षित धनराशि के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. ICAR Unit CCRI, Nagpur के नाम दोपहर 2.00 बजे बंद लिफाफे में आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करनी होगी। जिसे दोपहर 2.00 बजे के बाद ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीबू फलों कि नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर होगी।

- 1 नीबू के ब्लॉक नं. 101, 102, 103, 105, 127ए, 112ए, 207, 211, 213, 210, 212, 134 और 123 में स्थित पौधों में लगे नीबू के फलों की नीलामी एक साथ होगी। कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार रुपये मात्र) सुरक्षित धन राशि का डी.डी. आई. सी.ए.आर. यूनिट सी.सी.आर.आई. नागपुर के नाम बना कर जमा करना होगा। संस्थान द्वारा रखी गई निर्धारित धनराशि से सबसे अधिक जिस व्यक्ति/फर्म की बोली होगी उसे 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल संस्थान के खाते में आनलाईन जमा करनी होगी। शेष धनराशि तीन दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 2 नीबू फल तोड़ने की अनुमति पूरी राशि जमा करने पर ही दी जायेगी तथा इसके पहले आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. से, उसे नीलाम किए गई कोई भी नीबू फल ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 3 नीलाम किये गये नीबू फलों को ठेकेदार द्वारा 30/06/2026 तक उसे अपने श्रमिकों से तोड़ना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नहीं देते तो वह फलों को नहीं ले जा सकेंगा।
- 4 नीलामी किये गये नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं फार्म अधिक्षक एवं सहायक फार्म प्रभारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- 5 ठेकेदार नीबू के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। संस्थान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- 6 फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- 7 एक लाख नीबू फल बिज के लिये देने होंगे।
- 8 अनुसंधान हेतू सैम्पल आवश्यकतानुसार देने होंगे।

- 9 शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नींबू फलों को तोड़ने दिया जाएगा लेकिन उन्हें बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 10 संस्थान के निदेशक महोदय को नीलामी से संबंधित समस्त निर्णय लेने एवं किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- 11 नीलामी के समय सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना पुरा पता आधार कार्ड के साथ अपना मोबाईल नम्बर भी अंकित कराये।
- 12 नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोदय को शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- 13 खराब तथा नीचे गिरे हुये नींबू फल स्वयं ठेकेदार को हटाना होगा।
- 14 ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म अधिक्षक से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- 15 काम करते समय अगर कोई लेबर पेड से गिर जाता है तथा किसी व्यक्ती को सांप काट ले, तो किसी भी आपत्ती के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा।



प्र. प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपी:

- 1 डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एवं सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 2 डॉ. दर्शन कदम वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 3 श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी / फार्म अधिक्षक आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. नागपुर।
- 4 ✓ डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर (सुरक्षा अधिकारी), आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 5 वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 6 कॅश अॅण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
- 7 नॅशनल प्रोटेक्टिव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
- 8 श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 निजी सहायक द्वारा निदेशक महोदय को प्रति जानकारी हेतु
- 10 सूचना पटल ऑफिस/फार्म हाऊस आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. नागपुर।